<u>न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर</u> ।

<u>परिवाद पत्र संख्या :—203/2021</u>

<u>आदेश</u>

<u>25.01.2022</u> परिवादिनी रीता देवी की हाजरी दी गई है । अभिलेख आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया ।

अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि परिवादिनी के द्वारा अभियुक्तगण मीनता देवी, राजेश राम, राजू राम, नीलम देवी एवं बालकेशरी कुँवर के विरूद्ध परिवाद पत्र दाखिल किया है । परिवादिनी द्वारा दाखिल परिवाद पत्र, परिवादिनी का सशपथ बयान एवं परिवादिनी के द्वारा प्रस्तुत कराये गये जॉच साक्षी संख्या—1 प्रभा देवी, जॉच साक्षी संख्या—2 सीता राम राम, जॉच साक्षी संख्या—3 लालती कुँवर एवं परिवादिनी जॉच साक्षी संख्या—4 रामजीत राम का साक्ष्य का अवलोकन किया।

परिवाद पत्र एवं उपरोक्त जॉच साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर परिवाद पत्र के उपरोक्त नामांकित अभियुक्तगण में से मीनता देवी, राजेश राम, राजू राम एवं नीलम देवी के विरूद्ध धारा 323 एवं 504 भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4 डायन अधिनियम के अंतर्गत प्रथम दृष्टया अपराध बनता है । अन्य अभियुक्त एवं अन्य धाराओं में प्रथम दृष्टया मामला बनता प्रतीत नही होता है ।

परिवादिनी को यह निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्तों के विरूद्ध समन निर्गत करने हेतु आवश्यक अपेक्षिकाएँ दिनांकः—24.02.2022 तक दाखिल करें।

अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।